भीम
BHIM

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.4(3)नविवि/ा/2021 पार्ट

जयपुर, दिनांकः 21 NOV 2022

–:आदेशः–

स्वायत्त शासन विभाग के आदेश कमांक एस्टे/एम/एफ.10(संस्था)आरएमएस(टी)डी. एल.बी.22/21957 दिनांक 27.10.2022 के द्वारा श्री रमेश चन्द शर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत) को पे–माईनस–पेंशन के आधार पर 01 वर्ष (कार्यग्रहण की दिनांक से 01 वर्ष तक) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत), नगर निगम जयपुर–ग्रेटर के रिक्त पर एतद्द्वारा पुनर्नियुक्ति प्रदान की गयी।

उक्त आदेश के द्वारा श्री रमेश चन्द शर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत) की पुनर्नियुक्ति किये जाने पर नियमानुसार इनके वेतन–भत्तों का भुगतान नगर निगम जयपुर–ग्रेटर द्वारा स्वयं के संसाधानों से करने एवं श्री शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत) निदेशालय, ऊर्जा बचत प्रकोष्ठ के पद पर यथावत कार्य करने के आदेश जारी किये गये।

प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिगत श्री रमेश चन्द शर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत) को नगर निगम ग्रेटर–जयपुर में आवंटित कार्य के साथ–साथ जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत) के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार अग्रिम आदेशों तक सम्पादित किये जाने के आदेश एतद्द्वारा जारी किये जाते है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd

(अवधेश सिंह)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. महापौर/आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर–जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग को उनके पत्र कमांक एस्टे/एम/एफ.10( )/आरएमएस(टी)/डीएलबी/2022/23439 दिनांक 10.11.2022 के कम में।
7. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
8. श्री रमेश चन्द शर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत), नगर निगम ग्रेटर, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव–तृतीय

rsonwal@order